अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

का0आ0सं0–निग / सारा–4(पथ)–आरोप–24 / 2019 पटना, दिनांक :– 8/5/19

कार्यालय आदेश –111

पथ प्रमंडल, पीपरा अन्तर्गत भारत नेपाल सीमा रोड प्रोजेक्ट के तहत सरायगढ़ से रिफ्यूजी कॉलोनी पथ में कराये गये कार्यो की उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–2, के द्वारा जाँचोपरांत समर्पित तत्संबंधी प्रारंभिक / गुणवत्ता प्रतिवेदन की विभागीय तकनीकी समिति के द्वारा समीक्षोंपरांत उपलब्ध कराये गये अनुसंशा के अनुरूप आलोच्य पथ में पायी गयी कतिपय त्रुटियों / अनियमितताओं के लिए विभागीय पत्रांक–10977(S)We दिनांक–30.11.2017 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में श्री बिहारी साफी, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, पीपरा के स्पष्टीकरण उत्तर पत्रांक–शून्य (अनु०) दिनांक–02.01.2018 द्वारा समर्पित किया गया।

(2) प्रश्नगत मामले में उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के उपरांत आलोच्य पथ कार्य में निम्न त्रुटि / अनियमितता पायी गयीः–

(i) आलोच्य पथ के कि०मी० 08 में कराये गये DBM Gr-II कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 2.22% पायी गयी जो प्रावधानित मात्रा (4.25%) से कम है।

(ii) आलोच्य पथ के कि०मी० 08 में कराये गये DBM Gr-II कार्य का FDD 2.08gm/cc पाया गया है, जो प्रावधान / टॉलरेन्स लिमिट (2.09gm/cc) से कम है।

3. उक्त वर्णित पायी गयी त्रुटियों के संदर्भ में श्री साफी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय तकनीकी समिति का मंतव्य प्राप्त किया गया, जिसके द्वारा विश्लेषणोंपरांत श्री साफी के स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य पाये जाने की अनुशंसा की गई।

तदालोक में विभागीय स्तर पर की गयी समीक्षा में पाया गया कि श्री साफी के द्वारा अपने बचाव बयान में कोई ऐसा ठोस एवं खंडनयुक्त तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस पर युक्तिसंगत ढंग से विचार किया जा सके जिसके फलस्वरूप उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार किये जाने का कोई अवसर प्रतीत नही होता है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय स्तर पर की गयी समीक्षा के क्रम में श्री साफी द्वारा दिनांक–02.01.2018 को समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुए सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली–2005) के नियम–14 के उपनियम–v के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

(1) **तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक**

ह० / –
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार (यातायात) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पीपरा/उप सचिव (प्र०को०) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना /अवर सचिव, मुख्यालय/लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/3/6/13/14, एवं लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री बिहारी साफी, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल पिपरा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 3636(E) पटना, दिनांक :– 8/5/19

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

8/5/19

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

8/5